राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12432/2016

अन्नपूर्णा पुत्री श्री देवदत्त शर्मा एवं स्वर्गीय श्रीमती संपत देवी शर्मा, निवासी एफ-14, नवल सागर कुनवा, माजीसा का बास, बीकानेर।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य सचिव शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।

2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर

3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर ----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: सुश्री दीपिका व्यास

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री ललित पारीक

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश</u>

13/05/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत प्रतिवादियों द्वारा उसकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार शिक्षक ग्रेड-III या किसी अन्य उपयुक्त पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति न करने से उत्पन्न हुई है।

2. संक्षेप में, प्रासंगिक तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता की मां श्रीमती संपत देवी शर्मा शिक्षक ग्रेड III के पद पर कार्यरत थीं। 20.02.2012 को सेवाकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

2.1 याचिकाकर्ता, अपनी दिवंगत मां पर पूर्ण रूप से आश्रित होने के कारण, लागू सेवा नियमों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता ने प्रतीक्षा करने के बाद भी कोई सुनवाई न होने पर एक अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए, वर्तमान रिट याचिका।

3. उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ यह स्टैंड लिया गया है कि सबसे पहले मृतक कर्मचारी गौतम दत्त शर्मा के पुत्र और उनकी विवाहित बेटी श्रीमती अन्नपूर्णा यानी याचिकाकर्ता दोनों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया है, जो स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा, विवाहित पुत्री राजस्थान मृतक सरकारी सेवक के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति नियम, 1996 की धारा 2(सी) में परिभाषित 'आश्रित' की परिभाषा में नहीं आती है। इसलिए याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, जो एक खुला और बंद मामला प्रतीत होता है, वह प्रतिवादियों के हाथों अनावश्यक रूप से लटका हुआ है, शायद इस न्यायालय में रिट कार्यवाही के लंबित होने के कारण।

5. यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अनुकंपा नीति की प्रयोज्यता विवाद में नहीं है और विभाग द्वारा उठाई गई आपत्ति यह थी कि चूंकि मृतक कर्मचारी के बेटे और बेटी दोनों ने नौकरी के लिए आवेदन किया है और केवल एक को समायोजित किया जाएगा, इसलिए, उनमें से एक को इस पद से हटना पड़ा।

6. इसके बाद, मृतक कर्मचारी के बेटे द्वारा अपना आवेदन वापस लेने के बावजूद, बेटी के आवेदन यानी याचिकाकर्ता पर भी विचार नहीं किया गया, क्योंकि रिकॉर्ड से ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है, जिससे उन्हें उसके लंबित आवेदन पर आगे बढ़ने से रोका जा सके। कानून की नवीनतम स्थिति के अनुसार, विवाहित बेटी अविवाहित बेटी के समान ही आवेदन करने के लिए पात्र है।

7. इस आधार पर, रिट याचिका का इस निर्देश के साथ निपटारा किया जाता है कि विभाग की लागू नीति और सेवा नियमों के अनुसार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के आवेदन पर यथासंभव शीघ्रता से कार्रवाई की जाए, लेकिन आज से 3 महीने से अधिक नहीं। यदि याचिकाकर्ता पात्र और हकदार पाई जाती है, तो उसे नियुक्ति का लाभ दिया जाए।

8. लंबित आवेदन(ओं), यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाएगा।

(अरुण मोंगा), जे

(यह अनुवाद एआई टूलः SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।